संख्या-46/308/47-का-3-2014-9/129/2012

प्रेषक,

योगेश्वर राम मिश्र
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी
सेक्टर-डी, अलीगंज, लखनऊ।

कार्मिक अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक : 14 मार्च, 2014**

विषय- वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत व्यय हेतु अवशेष द्वितीय छमाही के लिए सेंटर फार गुड गवर्नेन्स, उ0प्र0 को वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1842/47-का-3-2013-9/129/2012, दिनांक 01.09.2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय सेंटर फार गुड गवर्नेंस उत्तर प्रदेश को सहायक अनुदान/ राज सहायता तथा वेतन भत्ते आदि के भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2013-2014 हेतु आय-व्ययक के अन्तर्गत उ0प्र0 विनियोग अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या-03, सन 2013) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार स्वीकृत व्यय के लिए रू0-15,00,000/-(रूपये पन्द्रह लाख मात्र) की अवशेष द्वितीय छमाही (माह अक्टूबर, 2013 से मार्च, 2014) तक के लिए अनुदान संख्या-19 के लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-04-सेंटर फार गुड गवर्नेन्स उ0प्र0 के निम्नलिखित मानक मद/उप शीर्ष में सम्मुख अंकित धनराशि रू0-7,50,000/-(रूपये सात लाख पचास हजार मात्र) अवमुक्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

धनराशि (रूपये हजार में)

उप शीर्ष / मद का नाम	बजट साहित्य के पृष्ठ-4 के अनुसार स्वीकृत कुल धनराशि	प्रथम 06 माह (अप्रैल, 2013 से सितम्बर, 2013 के व्यय हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि	अवशेष द्वितीय छमाही (माह अक्टूबर, 2013 से मार्च, 2014 तक) के व्यय हेतु अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1500	750	750
योग	**1500**	**750**	**750**

2- उक्त धनराशि का व्यय महानिदेशक, सेंटर फार गुड गवर्नेन्स उ0प्र0 द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार शासन की पूर्व सहमति/ अनुमोदन से किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उक्त धनराशि का आहरण राजकोष से एक मुश्त नही की जायेगी, बल्कि आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर सक्षम अधिकारी की अनुमति से नियमानुसार व्यय की जायेगी तथा उक्त बिल को अनु सचिव, नियुक्ति विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर धनराशि का आहरण महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी द्वारा किया जायेगा।

4- द्वितीय किश्त में स्वीकृत धनराशि का व्यय न्यूनतम आवश्यता के अनुसार तथा वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

5- अनुदान संख्या-19 के लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-04-सेंटर फार गुड गवर्नेंस उ0प्र0 के लिए वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अवशेष द्वितीय छः माह (माह अक्टूबर, 2013 से मार्च, 2014 तक) उप शीर्ष 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि (माह अक्टूबर, 2013 से मार्च, 2014) रू0-15,00,000/-(रूपये पन्द्रह लाख मात्र) की धनराशि में से अवशेष धनराशि रू0-7,50,000/- (रूपये सात लाख पचास हजार मात्र) उक्त मद में सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी0 ई-5-325/दस-2014, दिनांक 28/02/2014 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय

(योगेश्वर राम मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या-46/308(1)/47-का-3-2014-9/129/2012, तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।.
5. अनु सचिव, नियुक्ति अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन को विभागीय वेबसाइट पर उक्त शासनादेश को अपलोड कराने हेतु। .
6. नियुक्ति अनुभाग-6 (लेखा कोष्ठक) उत्तर प्रदेश शासन।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ 2, उत्तर प्रदेश शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(योगेश्वर राम मिश्र)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in